एक कदम बचपन की ओर...

अल्प में कल्प

॥ नन्हें वंचित बच्चों को मिला बेहतर संरक्षण ॥

मेरा प्रयास
आपका विश्वास

तृतीय वर्ष

मनन चतुर्वेदी, अध्यक्ष – राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 की प्रगति रिपोर्ट (प्रदेश में किये गये निरीक्षण/कार्य)

उपलब्धियां

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार बाल अधिकार सप्ताह 14 नवम्बर 2018 से 20 नवम्बर2018 तक सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों एवं आवासीय छात्रावासों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बालगृहों एवं छात्रावासों में मनाया गया ।

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी द्वारा धौलपुर जिले के पुलिस थाना सदर को राजस्थान का प्रथम बाल मैत्री पुलिस थाना बनवाया गया, जिसमें प्रयत्न संस्था एवं भामाशाहों के साथ आवश्यक खेल से सबंधित संसाधनों की व्यवस्था कर बाल मैत्री पुलिस थाना घोषित किया गया ।

-राजस्थान में सड़क पर गुजर बसर करने वाले बच्चों के लिए (ैजतममज बेपसकतमद) मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) हिन्दी भाषा में जारी की गई जिसमें सड़क पर जीने वाले बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है । यह हिन्दी भाषा में एस.ओ.पी लॉच करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना ।

- राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पुष्कर मेला पुष्कर, अजमेर जो हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, उक्त मेले को राज्य बाल अधिकार आयोग एवं जिला प्रशासन अजमेर द्वारा बाल मेत्री मेला घोषित किया जा कर मेले में बच्चों के संरक्षण एवं सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलबध कराने हेतु व्यवस्था की गई ।

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के माध्यम से प्रदेश के सभी 859 पुलिस थानों में बालडेस्क का निर्माण करने के निर्देशों की पालना पुलिस विभाग द्वारा करवाई गई ।

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी द्वारा प्रदेश के विभिन्न गांवों / तहसीलों / जिला मुख्यालयों पर लगभग 5 लाख के लगभग बच्चों, महिलाओं, पुरुषों एवं विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से बाल अधिकारों से अवगत करवाने का एक सफल प्रयास किया गया ।

- राज्य बाल अधिकार आयोग की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के 33 जिलों में 55 नये पोक्सों कोर्ट खोले गये, जो नाबालिग बालकों से सम्बधित यौन शोषण एवं अन्य प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित न्याय दिलवाया जायेगा ।

- राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा महिला जेलों का निरीक्षण कर जेल महा निदेशक को महिला केदियों के बच्चो की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये ।

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के 100-100 बच्चों को बाल अधिकारों का प्रशिक्षण, कानूनों/अधिनियम की जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण दिया जा कर, जिलो के अन्य विद्यालयों के बच्चों को जागरुक करने हेतु **चाईल्ड वॉरियर** बनाये गये ।

210 यात्रा विवरण

संभाग - जोधपुर -

1 जोधपुर - 06 विजिट	4. जालौर - 04 विजिट
2 जैसलमेर - 06 विजिट	5. सिरोही - 13 विजिट
3 पाली - 04 विजिट	6. बाड़मेर - 06 विजिट

संभाग - जयपुर

1 जयपुर- 10 विजिट	4. झुंझूनू - 05 विजिट
2 दौसा - 04 विजिट	5.अलवर - 07 विजिट
3 सीकर - 11 विजिट	

संभाग - भरतपुर

1 भरतपुर- 06 विजिट	3 करौली - 06 विजिट
2. सवाई माधोपुर - 07 विजिट	4 धौलपुर - 04 विजिट

संभाग - कोटा

1 कोटा - 07 विजिट	3 बारां - 02 विजिट
2 झालावाड़ - 02 विजिट	4. बूंदी - 04 विजिट

संभाग - अजमेर

1 अजमेर - 12 विजिट	3 नागौर -02 विजिट
2 भीलवाड़ा - 04 विजिट	4. टोंक - 06 विजिट

संभाग - बीकानेर

1 बीकानेर- 08 विजिट	3 हनुमानगढ़- 03 विजिट
2 श्रीगंगानगर - 04 विजिट	4. चुरू - 05 विजिट

संभाग - उदयपुर

1 उदयपुर - 15 विजिट	4. प्रतापगढ़ - 03 विजिट
2 चित्तौड़गढ़ - 06 विजिट	5. डूंगरपुर - 03 विजिट
3 बांसवाड़ा - 07 विजिट	6. राजसमन्द - 06 विजिट

अल्प
में कल्प
2018–19

1 मई 2018

निरीक्षण व निर्देश

दिनांक 1 मई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग के समक्ष एस.एम.एस स्कूल जयपुर में बालकों का शोषण/परीक्षा में अनियमितता होने की शिकायत प्राप्त होने पर आयोग की टीम द्वारा विद्यालय प्रबंधन के साथ मामले पर विस्तार से चर्चा कर बालकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित कर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया गया।

बाल संरक्षण आयोग की टीम ने किया स्कूल का दौरा

15 छात्राओं ने स्कूल शिक्षकों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

राजधानी के एसएमएस स्कूल में छात्राओं की प्रताड़ना का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में करीब 15 छात्राओं ने स्कूल के खिलाफ बाल संरक्षण आयोग शिकायत की है, जिसके बाद मंगलवार को आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल की एक छात्रा ने शिक्षिकाओं पर आरोप लगाया है कि शिक्षिकाओं की कोचिंग में नहीं पढ़ने के चलते 11वीं कक्षा में फेल कर दिया गया। इसके बाद स्कूल की करीब 15 छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर प्रताड़ित कर फेल करने के आरोप लगाए। आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, सदस्य जयश्री गर्ग और सदस्य सचिव वी. सरवन सहित आयोग के सभी सदस्य ने करीब 3 घंटे तक स्कूल पीड़ित छात्राओं से बात की। इस दौरान छात्राओं के साथ मौजूद परिजनों से भी वार्ता की गई। आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसीपल कृष्णा भाटी से भी वार्ता की। चतुर्वेदी और सदस्य ने कहा कि यहां आने पर कई अनियमितताओं का पता चला है। साथ ही इस पूरे मामले में बालिकाओं का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में जल्द ही मामले में रिपोर्ट सौंपने के बाद स्कूल पर कार्रवाई का कदम उठाया जाएगा।

एसएमएस स्कूल में छात्राओं को मानसिक प्रताड़ना का मामला

जांचने पहुंचे शिकायत, फेल हो गया स्कूल

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

बाल आयोग ने पीड़ित विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिका जब्त की

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. प्रबंधन के रोजमर्रा के काम में दखल के आरोपों के बीच जयपुर का सवाई मानसिंह स्कूल मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व शिक्षा विभाग की टीम की जांच में कई बिन्दुओं पर फेल हो गया। स्कूल से एक छात्रा की कॉपी गायब मिली, तो एक छात्रा पहले 10 वीं कक्षा में भेज दी और फिर 9 वी कक्षा में ही फेल बता दिया। आयोग को अब तक विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित विभिन्न प्रकार की करीब 10 शिकायतें मिली है, इनमें 4 की शिकायतें गंभीर है। आयोग ने जबरन फेल की शिकायत वाले विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं सहित कुछ दस्तावेज भी जब्त किए है, उत्तरपुस्तिकाओं की केन्द्रीय व जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, सीबीएसई के विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी।

विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की जांच के लिए मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व शिक्षा विभाग की टीम दोपहर करीब 12 बजे स्कूल पहुंची और करीब 7 घंटे तक निरीक्षण किया। प्रबंधन समिति के सचिव विक्रमादित्य और अतिरिक्त सचिव विजित सिंह, स्कूल प्राचार्या कृष्णा भाटी, आरोपित शिक्षकों से विस्तृत पूछताछ की। आयोग ने शिकायतकर्ता विद्यार्थियों का पक्ष भी जाना, इस दौरान आयोग को कुछ और शिकायत भी सामने आई। जिन विद्यार्थियों को गलत तरीके से स्कूल ने फेल कर दिया है, आयोग उनको अगली कक्षा में हर हाल में क्रमोन्नत कराएगा।

यूं चली 7 घंटे जांच

- दोपहर 12 बजे आयोग अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव सहित अन्य टीम स्कूल पहुंची।
- करीब 1.5 घंटे पीड़ित छात्र-छात्राओं से बातचीत की।
- स्कूल शिक्षक व प्रिंसीपल से वार्ता की गई।
- स्कूल प्रबंधन कमेटी के सचिव वि मादित्य, अतिरिक्त सचिव विजित सिंह समेत अन्य लोगों से घंटेभर तक बैठक की।
- टीम के 3 अधिकारियों ने स्कूल के दस्तावेज खंगाले। यह कार्यवाही 3 घंटे तक चली।

तीन माह तक आयोग की निगरानी में रहेगा स्कूल

आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बताया कि लगातार मिली शिकायतों के बाद आयोग ने स्कूल में निगरानी का फैसला किया है। आयोग को कुछ शिकायतें व्हाट्सएप पर भी मिली है। शिक्षा विभाग ने जो जांच की है, उसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। आयोग के सदस्य सचिव वी. सरवन ने बताया कि 3 माह तक स्कूल की निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार कमेटी में आयोग के आरटीई प्रभारी एसपी सिंह, सदस्य सीमा जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी व बाल कल्याण समिति के सदस्य इसमें शामिल करने पर विचार चल रहा है। ओम्बुड्समेन के रूप मे कमेटी शुरुआत में 3 माह तक निगरानी करेगी। इसके बावजूद सुधार नही हुआ तो कमेटी का समय और बढ़ाया जा सकता है। कमेटी का एक सदस्य स्कूल के कार्यों पर निर्णय करने वाली कमेटी मे भी शामिल कराया जाएगा।

जांच में सामने आई ये कमियां

- स्कूल में आरटीई के तहत गरीब छात्रों को नहीं दिए जा रहे पर्याप्त संख्या में प्रवेश
- स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की बैठकें नहीं हो रहीं।
- एसएमसी के गठन में नियमों की पालना नही की गई है।
- स्कूल के 30 शिक्षकों को प्रिंसीपल को बताए बिना व नोटिस दिए बिना निकाल दिया गया।
- शिक्षक-अभिभावक बैठकों (पीटीएम) में अभिभावकों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पिछले दिनों हुई पीटीएम में अभिभावकों ने इसे लेकर कई शिकायतें भी की।
- बच्चों को मानसिक प्रताडना दिए जाने की बात भी सामने आई।
- तीन में से 2 काउंसलर को पक्षपातपूर्ण तरीके से निकाल दिया गया।

आयोग की फिर बैठक

आयोग की टीम मंगलवार शाम सात बजे तक निरीक्षण मे लगी रही। बुधवार को आयोग उसके सामने आए सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिए बैठक करेगा। आयोग ने स्कूल से दो छात्राओं की पुनः परीक्षा की उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र व मार्किंग की जानकारी बुधवार सुबह 11 बजे तक तलब की है।

प्राइवेट ट्यूशन की शिकायतें

उठाए सवाल

आयोग को स्कूल के परीक्षा इंचार्ज सहित कुछ शिक्षकों के ट्यूशन और कोचिंग सेंटर चलाने की शिकायत भी मिली है। इन शिक्षकों के बच्चों पर दवाब बनाने के बारे में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से बात भी की गई, लेकिन कमेटी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर आयोग की टीम ने कहा कि जो शिक्षक बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, उन्हें ही स्कूल ने परीक्षा इंचार्ज बना रखा है। ऐसे में पेपर की गोपनीयता भी सवालों के घेरे में है। आयोग ने प्रिंसीपल के पास पिछले 3 वर्षों में आई विद्यार्थियों की शिकायतें मांगी हैं।

अल्प
में कल्प
2018–19

3 मई 2018

समीक्षा बैठक

दिनांक 3 मई 2018 : 1:– राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा राजस्थान के बाल विवाह के अधिकांश मामलों वाले जिलो में बाल विवाह के घटनाओं को रोकने हेतु स्थानीय प्रशासन को कठोर कदम उठाने के निर्देश श्री डी.बी गुप्ता मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से चर्चा कर जारी किये गये।

2 :– राजस्थान में विभिन्न थानों में विचाराधिन पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने हेतु पुलिस महा निदेशक श्री ओ.पी गल्होत्रा से समीक्षा बैठक कर निर्देश जारी किये गये।

3:– जयपुर के मणिपाल हॉस्पीटल में ईलाज के दौरान बच्चों की मौत होने की शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की सदस्य रुपा कपुर के साथ प्राप्त शिकायत के बिन्दुओं की जाँच करते हुए।

अल्प
में कल्प
2018-19

4 मई 2018

निरीक्षण व निर्देश

दिनांक 4 मई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग के द्वारा जयपुर के महिला बन्दी गृह में सजा बिता रही महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं जैसे खेल-कूद, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जानकारी लेने हेतु आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने महिला जेल का निरीक्षण किया एवं महिला बन्दियों द्वारा निर्मित घरेलू सामान का भी अवलोकन किया गया।

निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को दूर करने हेतु राजस्थान पुलिस महानिदेशक (कारावास) श्री भूपेन्द्र यादव आई.पी.एस. से समीक्षात्मक चर्चा की गई।

अल्प
में कल्प
2018-19

6 मई 2018

सामाजिक जागरुकता रैली

दिनांक 6 मई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में बाल अधिकारों की जागरुगता हेतु जिला बाल कल्याण समिति कोटा एवं सामाजिक संघटनों के प्रतिनिधियों के साथ मोटर साईकिल पर 50 कि.मी.तक वाहन रैली का आयोजन कर ग्रामीण बाल संरक्षण ईकाइयों के गठन का संदेश भी दिया गया एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की भी जानकारी दी गई।

अल्प
में कल्प
2018-19

10 मई 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला देहरादून

दिनांक 10 मई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा उत्तराखण्ड के देहरादून में बाल सुरक्षा एवं संरक्षण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला के आयोजन में उपस्थित होकर राजस्थान बाल अधिकार आयोग द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं बाल हित में किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी एवं अपने अनुभव साझा किये।

अल्प
में कल्प
2018–19

17 मई 2018

मासिक बैठक

दिनांक 17 मई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा जयपुर की एस.एम. एस स्कूल में बच्चों द्वारा दिये गये शिकायत पत्रों के निस्तारण हेतु आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, आयोग सदस्य सचिव वी. सरवन कुमार एवं जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर चर्चा कर शिकायतों का निस्तारण करते हुए।

अल्प
में कल्प
2018–19

21 जून 2018

विश्व योग दिवस 2018

दिनांक 21 जून 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के विद्याधर नगर में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर में भाग लेकर उपस्थित प्रतिभागियों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी एवं सभी से अपील की कि सभी को योग अपने जीवन में नियमित क्रम में करते रहना चाहिये जिससे आपके स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

अल्प में कल्प 2018–19

23 जून 2018

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिनांक 23 जून 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा उदयपुर के बालिका गृह में राज्य सरकार की सम्बद्ध कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए सलून एवं हेयर कट के प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ किया गया, इस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से बालिका गृह में निवास कर रही अधिकांक्ष बालिकाओं को स्वयं रोजगार हेतु प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाया जायेगा।

बालिकाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास : मनन चतुर्वेदी

राजकीय बालिका गृह में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर

राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी ने शुक्रवार को शहर के चित्रकूट नगर स्थित राजकीय बालिका गृह में प्रवासरत बालिकाओं के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित दाढ़ीवाला स्पा सेलून एवं इंस्टीट्यूट की ओर से दिए जाने वाले ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से बालिकाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्होंने बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं से प्रशिक्षण में पूर्ण लगन एवं निष्ठा से कार्य करने की बात कही और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों को जीवन में उतारते हुए आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित किया।

उन्होंने मौजूद बालिकाओं से विस्तार से चर्चा की एवं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें हरसंभव सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। मनन ने बालिकाओं से उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में चर्चा एवं बालिकाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने बालिकाओं के साथ अन्ताक्षरी भी खेली। कार्यक्रम में बालिका गृह की अधीक्षक श्रीमती वीना मेहरचन्दानी, बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती मीना शर्मा, आशुतोष राठौड़, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ प्रीति जैन, सदस्य राजकुमारी भार्गव, हरीश पालीवाल व बी के गुप्ता सहित बालिका गृह का स्टाफ एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

अध्यक्ष ने खरीदे बालिकाओं के बनाए उत्पाद: श्रीमती चतुर्वेदी ने बालिका गृह की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान बालिकाओं द्वारा तैयार उत्पादों को देखा और बालिकाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके द्वार बनाए जूट के झूमर को भी खरीदा।

112 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण: दाढ़ीवाला स्पा सेलून एवं इंस्टीट्यूट के राजेश ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। 112 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में लगभग 6.30 घण्टे प्रतिदिन बालिकाओं को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात आरएसएलडीसी का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

सिटी इवेंट्स

बालिका गृह में ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

उदयपुर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से चित्रकूट नगर स्थित राजकीय बालिका गृह में शुक्रवार से ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। मनन चतुर्वेदी ने बालिका गृह का निरीक्षण किया और बालिकाओं के तैयार किए गए उत्पादों को देखा और जूट का झूमर खरीदकर उसका प्रोत्साहन किया। चतुर्वेदी ने बालिका गृह अधीक्षक वीना मेहरचंदानी सहित अन्य स्टाफ को निर्देश दिए कि वे बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और हरसंभव सुविधा प्रदान करें। प्रशिक्षण शिविर आयोजनकर्ता दाढ़ीवाला स्पा सेलून एवं इंस्टीट्यूट के राजेश ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किशोरियों को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी।

बालिकाएं हुनर से करेंगी सशक्तीकरण का सफर

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज

उदयपुर @ पत्रिका. राजकीय बालिका गृह में प्रवासरत बालिकाओं के लिए राजस्थान एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम का आगाज शुक्रवार को हुआ।

राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने चित्रकूट नगर स्थित बालिका गृह में दाढ़ीवाला स्पा सैलून तथा इंस्टीट्यूट की ओर से दिए जाने वाले ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। चतुर्वेदी ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से ये बालिकाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। इस दौरान मनन ने मौजूद बालिकाओं संग शिक्षा एवं स्वास्थ्य की चर्चा के साथ आवास गृह में प्रदत्त सुविधाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बालिका गृह अधीक्षक वीना मेहरचन्दानी, बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक मीना शर्मा, आशुतोष राठौड़, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. प्रीति जैन, सदस्य राजकुमारी भार्गव, हरिश पालीवाल व बीके गुप्ता सहित बालिका गृह स्टाफ ने मिलकर बालिकाओं के साथ अंत्याक्षरी भी खेली।

112 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण

बालिकाओं ने चतुर्वेदी को हस्तनिर्मित उत्पाद दिखाए। इधर, दाढ़ीवाला स्पा सेलून एवं इंस्टीट्यूट के राजेश ने बताया कि 112 दिन तक चलने वाले ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को प्रतिदिन करीब साढ़े छह घण्टे ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद आरएसएलडीसी का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

अल्प
में कल्प
2018–19

26 जून 2018

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर

दिनांक 26 जून 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों की मदद कर उन पर अहसान नहीं करते हम, यह हमारा दायित्व एवं कर्तव्य है..... अजमेर में तीन दिवसीय चाइल्ड लाइन के बाल यौन दुर्व्यवहार एवं ऑनलाइन सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में आये प्रदेश के सभी जिलों के चाइल्ड लाइन प्रतिनिधियों को संवेदनशीलता एवं बिना अपेक्षा के सहयोग करने की अपील की ...

यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी : मनन चतुर्वेदी

तीन दिवसीय बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला का उद्घाटन

राज्य बल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित तीन द्विवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

सिटी रिपोर्टर | अजमेर

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाकर हम उन पर किसी तरह का एहसान नहीं कर रहे बल्कि यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

फाउंडेशन के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि मनन चतुर्वेदी ने दिशा समाज सेवी संस्था मदार में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कार्यक्रम समन्वयक व प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। दिशा संस्था निदेशक फादर विशाल रेमंड ने स्वागत किया। बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक संजय सावंलानी, मानव तस्करी विरोधी इकाई निरीक्षक रविकांत दरिया, बालगृह अधीक्षक अभिषेक गुजराती ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किए।

राज्य बाल अधिकार आयोग पूर्व सदस्य गोविंद बेनीवाल ने बाल अधिकार विशेषज्ञ के रूप में सहभागियों को यौन अपराध एवं बालकों के साथ होने वाले यौन अपराधों के बारे बताते हुए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया। राजस्थान के 25 जिलों में संचालित चाइल्ड लाइन एवं 3 रेल्वे चाइल्ड हेल्प डेस्क के कुल 44 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अजमेर चाइल्ड लाइन के शहर समन्वयक कुशाल सिंह रावत एवं केन्द्र समन्वयक नानूलाल प्रजापति का सहयोग रहा।

तीन दिवसीय बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला का उद्घाटन

मासूमों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, नहीं कर रहे हम उन पर एहसान

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा

एक्पोज रिपोर्टर
ajmer@patrika.com

मनन चतुर्वेदी।

अजमेर . मासूम बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार या दुर्व्यवहार से उन्हें सुरक्षित बचाना यह जिम्मेदारी पूरे समाज की है। यदि हम बच्चों को इस तरह से किसी अपराध से बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमने बच्चों पर किसी तरह का एहसान नहीं किया है। यह कहना है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी का।

उन्होंने सोमवार को चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। चतुर्वेदी ने बताया कि विभिन्न जिलों के कार्यक्रम समन्वयक व प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बच्चों को यौन दुर्व्यवहार के साथ ही अन्य आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सभी साथ मिलकर इन बच्चों को किस तरह बचाया जा सके, इस मुद्दे पर चर्चा कर कार्य करेंगे।

बच्चा किसी भी तरह की मुसीबत में हो, पहला फोन (1098) चाइल्ड हैल्प लाइन नम्बर पर करता है। जितनी जल्दी बच्चों की आवाज हम तक पहुंच पाएगी, हम उतनी जल्दी उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। कार्यशाला में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय सावंलानी, मानव तस्करी विरोधी इकाई के निरीक्षक रविकान्त दरिया, बाल गृह के अधीक्षक अभिषेक गुजराती ने भी विचार व्यक्त किए।

दिशा संस्था के निदेशक फादर विशाल रेमण्ड ने स्वागत किया। राज्य बाल अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य गोविन्द बेनीवाल ने बाल अधिकार विशेषज्ञ के रूप में सहभागियों को यौन अपराध एवं बालकों के साथ होने वाले यौन अपराधों के बारे बताते हुए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया। राजस्थान के 25 जिलों में संचालित चाइल्ड लाइन एवं 3 रेल्वे चाइल्ड हेल्प डेस्क के कुल 44 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

बच्चों को यौन अपराधों से बचाना सभी की जिम्मेदारी

तीन दिवसीय बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला का उद्घाटन

कार्स/नवज्योति, अजमेर

बच्चों को यौन अपराधों से बचाकर हम उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। यह बात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने सोमवार को चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही। चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए सभी को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना होने से पहले ही वे सचेत हो जाएं। उन्होंने राजस्थान के विभिन्न जिलों के कार्यक्रम समन्वयक व प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सक्रियता से काम करने को कहा।

कार्यशाला में मौजूद मनन चतुर्वेदी व अन्य। -नवज्योति

राज्य बाल अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य गोविन्द बेनीवाल ने बाल अधिकार विशेषज्ञ के रूप में सहभागियों को यौन अपराध एवं बालकों के साथ होने वाले यौन अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बिन्दुओं पर भी प्रशिक्षण दिया। दिशा संस्था के निदेशक फादर विशाल रेमण्ड ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला के दौरान सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग संजय सांवलानी, निरीक्षक मानव तस्करी विरोधी इकाई रविकान्त दरिया, अधीक्षक बाल गृह अभिषेक गुजराती ने भी विचार व्यक्त किए। फाउण्डेशन की कार्यक्रम अधिकारी आशिमा ने अतिथियों एवं प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यशाला में प्रदेश के 25 जिलों में संचालित चाइल्ड लाइन एवं 3 रेलवे चाइल्ड हैल्प डेस्क के कुल 44 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया। अजमेर चाइल्ड लाइन के शहर समन्वयक कुशाल सिंह रावत एवं केन्द्र समन्वयक नानूलाल प्रजापति ने कार्यशाला में सहयोग दिया। फाउंडेशन के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी दीपक सिंह ने आभार व्यक्त किया।

राज्य स्तरीय कार्यशाला

दिनांक 27 जून 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर की होटल मेरियट में आयोजित बालश्रम एवं बाल विवाह विषय पर कार्यशाला का आयोजन राज्य बाल अधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा करवाया गया।

जिसमें माननीय डॉ. जसवंत सिंह यादव मंत्री श्रम एवं नियोजन विभाग का मार्गदर्शन मिला साथ ही कार्यशाला में सुमन शर्मा महिला आयोग अध्यक्ष, अजय कुमार, सचिव रालसा, आयोग के सदस्य डॉ. साधना सिंह, डॉ सीमा जोशी, एसपीसिंह,प्रीति जैन IPS SP AHTU सत्येन्द्र सिंह IPS DCP North सुषमा अरोडा IAS Commissioner WCD, MS & RSCPCR V. Saravana_Kumar IAS o NCPCR के तकनीकी सलाहकार व अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जयपुर के अधिकांश थानों से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिलों की बाल कल्याण समिति के सदस्य, एवं सभी गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में शामिल हुए...

अल्प में कल्प 2018-19

13 जुलाई 2018

जाँच एवं निर्देश

दिनांक 13 जुलाई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी द्वारा एक 6 वर्षीय बालिका के पांव से अनजाने में टिटहरी का अंडा फुट गया तो समाज से बहिष्कार फिर आप के पांवों से दिन में कितने जीव मरते है आपको (पंच पटेलों) क्या सजा हो....?

बूंदी की हिंडोली तहसील के गांव में समाज के पंच पटेलों की पंचायत द्वारा 6 वर्षीय बालिका को समाज से बहिस्कृत करने व प्रताड़ित करने के मामलें में बालिका व परिजनों से मिलकर जानकारी ली व पंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया।

CITY | REGION 5

Govt, public turn mute spectators to Bundi girl's 'penance' nightmare

Two Teachers, ANMs Didn't Help Khushbu

'Harsh punishment for minor is totally unfair, unjustified'

'It is shameful that no one supported family & child'

संपादकीय

राष्ट्रदूत जयपुर, 13 जुलाई, 2018

बूंदी बहिष्कृत बालिका प्रकरण में मनन का हरिपुरा दौरा, बालिका को दुलारा

- बाल संरक्षण आयोग ने प्रसंज्ञान ले पंच पटेलों को दुत्कारा
- जुड़ा खाद्य सुरक्षा में नाम, मिला उज्ज्वला गैस कनेक्शन
- सख्त कार्रवाई हो जिससे पुनरावृत्ति ना हो : मनन

बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने हरिपुरा पहुंच फैसले के लिये पंच पटेलों को दुत्कारा।

Guilty booked, family gets access to govt schemes

DNA Correspondent

Kota: A day after a five-year-old girl was punished by a khap panchayat for accidentally destroying the eggs of Sandpiper bird, the district administration woke up from a deep slumber and showered sops on the family. Surprisingly though the minor victim's family was living about three kilometers away from Kota-Jaipur highway and about 11 kilometers from Bundi district headquarter, the benefits of various Central and state schemes eluded them till now.

On Thursday, Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights Chairperson Manan Chaturvedi, visited Haripura village and spoke to the victim and her family members. Following her intervention, the family was provided with basic household facilities including domestic gas connection under the Ujjawal Scheme and 30 kg of wheat. Apart from this, the local authorities also assured the family of electricity connection, benefits of food security scheme and funds for toilet construction.

After the report was filed by the minor girl's father Hukum Chand Rager Regar, the police sprung into action on Thursday noon and lodged cases under sections of IPC and Juvenile Justice Act against the ten community heads, who delivered the diktat declaring the girl an outcast.

However none of the ten accused has been arrested so far. They were booked under Sections 384, 508, 120(B) of IPC, section 75 of Juvenile Justice Act and section 6 of Untouchability Act 1955, SHO at Hindoli police station Laxman Singh said.

The accused community heads were identified as Chittarlal, Onkar, Durgalal, Chaturbhuj, Raghunath, Kalu, Moddu, Giyarsilal Ramdev and Moddu, all belonging to Regar community and residents of Haripura village, the SHO said.

State Commission for Protection of Child Rights Chairperson Manan Chaturvedi gives books to the 5-year-old victim girl on Thursday.

5-yr-old Bundi girl rescued from khap's wrath

12 July 2018

अल्प
में कल्प
2018–19

25 जुलाई 2018

राज्य स्तरीय कार्यशाला

दिनांक 25 जुलाई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा होटल गोल्डन ट्यूलिप जयपुर में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चुप्पी तोड़ो अभियान को लेकर बाल संरक्षण के क्षेत्र में संबोधन .....

बाल यौन शोषण को खत्म करने के लिए राज्य स्तरीय चर्चा के आयोजन में मनन चतुर्वेदी ने कहा

बाल सुरक्षा से जुड़े सभी तंत्र बच्चों तक पहुँचाएं

जयपुर, 24 जुलाई(का.स.)

जमीनी स्तर पर काम करने वाले मानवतावादी संगठन वर्ल्ड विज़न इंडिया (डब्ल्यूवीआई) ने आज जयपुर में 'ब्रेकिंग द साइलेंसट् एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़' विषय पर राज्यस्तरीय चर्चा का आयोजन किया। सरकार, सिविल सोसाइटी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न पक्षों ने बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या और इसके समाधान के लिए साथ आने की जरूरत के बारे में बात की। प्रतिभागियों ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा की प्रणाली को मजबूती देने की जरूरत के बारे में बात की।

बच्चों के शोषण और उत्पीड़न के मामले का समाधान तलाशने और चुप्पी तोड़ने के लिए वर्ल्ड विज़न इंडिया ने देशव्यापी ... प्रत्येक भारतीय की भागीदारी जरूरी है, की शुरूआत की है जिससे करीब एक करोड़ बच्चों (0-18 वर्ष) के प्रभावित होने की उम्मीद है।

इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए मनन चतुर्वेदी, चेयरपर्सन, राजस्थान राज्य बाल अधिकार ... तक पहुँचना चाहिये, हम यह भी उम्मीद न करें कि बच्चे उन तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि तंत्र अभी उपरी सतह से नीचली सतह की और काम कर रहा है, जबकि जरूरत यह है कि तंत्र को नीचली स्तर से उपरी स्तर पर पहुँचाया ... जा सकता है, जब सब लोग इसमें अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी निभायें। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। वर्ल्ड विज़न इंडिया ने सिविल सोसाइटी संगठनों और लोगों से साथ आने और ... तोड़ने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। सैमसनचंद्, सहायक निदेशक, वर्ल्ड विज़न इंडिया ने कहा, 'यह चर्चा ब्रेकिंग द साइलेंसट् एंड्वायंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन थीम को लेकर हजारों ... है। हम जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बाल यौन शोषण को पूरी तरह खत्म करने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते है।'

कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक किताब 'माईबॉडी! व्हाटआई से गोज़' की भी लाँचिंग की गई। इस पुस्तक का उद्देश्य बच्चों को सम्मान, सहमति और शारीरिक सीमाओं के बारे में बताना है। इसमें सुरक्षित एवं असुरक्षित अहसास, चेतावनी के शुरूआती लक्षण, सुरक्षा नेटवर्क, सुरक्षित एवं असुरक्षित ढंग से छूने और रहस्य एवं चकित करने के बीच के अंतर के बारे में भी बात की गई है। इसमें जानकारी देने की जगह, तरीके और मदद मांगने के बारे में भी सूचना दी गई है। यह पुस्तक उन 25 राज्यों और दिल्ली में स्कूलों और समुदायों ...

अल्प
में कल्प
2018–19

29 जुलाई 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला

दिनांक 29 जुलाई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा दिल्ली में आयोजित बाल सुरक्षा विषय पर कार्यशाला में भाग लेकर राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट जज श्री मदन बी लोकुर, केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी , महिला बाल विकास विभाग सचिव राकेश श्रीवास्तव सहित सभी राज्यों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव भी शामिल हुए...

अल्प
में कल्प
2018–19

30 जुलाई 2018

प्रसंज्ञान एवं निर्देश

दिनांक 30 जुलाई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा झालावाड़ में हुई 7 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ हुई दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलें में आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे।
पुलिस ने मामलें की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में संसोधित अधिनियम के तहत फांसी की सजा से अंतर्गत चालान पेश करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया जा रहा है।

जयपुर से गांव पहुंची डॉग स्क्वायड, पांच माह में बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या की जिले में दूसरी घटना

मोग्याबेह में सन्नाटा, दरिंदे का सुराग नहीं

सजा-ए-मौत से कम नहीं मिले

सन्दिग्धों की तलाश

दूसरी कक्षा में पढ़ती थी

बाल कल्याण समिति सदस्य भी पहुंचे

परिवार को सहायता के लिए आवेदन

भाई गया था भंडारे में

सजा नहीं मिल रही

अपराधी हो गिरफ्तार

लचीला कानून

वहां नजीर पेश, यहां सीएम क्षेत्र अछूता क्यों

पीड़िता को न्याय दिलाएं, अपराधियों को करें शीघ्र गिरफ्तार : मनन चतुर्वेदी

भास्कर न्यूज | झालावाड़

मनोहरथाना कामखेड़ा थाना क्षेत्र के मोग्याबेह गांव में सात वर्षीय बालिका की ज्यादती के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है।

त्वरित जांच व कार्रवाई के दिए निर्देश

स्कूली छात्रा की मृत्यु का मामला

चित्तौड़गढ़. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने चित्तौड़गढ़ जिले के बोराव में 7 वर्षीय बालिका की गत दिनों करंट लगने से मृत्यु हो जाने को मामले में प्रसंज्ञान लेकर त्वरित जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी ने बोराव में निजी स्कूल में पढ़ने गई 7 साल की बालिका अक्षिता के स्कूल गेट पर टीन शेड के साथ लगे पाइप में करंट आने से हुई मौत के [illegible] को गंभीर बताया है। उन्होंने [illegible] प्रकरण को गंभीरता से ले[illegible] प्रसंज्ञान लेकर जिला [illegible] अधिकारी को त्वरित जांच [illegible] कार्रवाई करने के निर्देश दि[illegible] उन्होंने कहा कि कार्रवाई [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट सप्ताह [illegible] आयोग कार्यालय को प्रस्तुत [illegible]

चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि [illegible] स्कूलों में इस संबंध में गंभीर[illegible] निरीक्षण किया जाए कि करंट [illegible] की स्थिति न हो और बच्चों [illegible] सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा [illegible]

बोराव में करंट से मौत के मामले में प्रसंज्ञान लिया, त्वरित जांच के निर्देश

चित्तौड़गढ़ | राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने चित्तौड़गढ़ जिले के बोराव में 7 वर्षीया बालिका की करंट लगने से मृत्यु हो जाने को मामले में प्रसंज्ञान लेकर त्वरित जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए।

आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी ने जिले के बोराव कस्बे में जिनेन्द्र एज्युकेशन एकेडमी में पढ़ने गई सात साल की बालिका अक्षित के स्कूल गेट पर टीनशेड के साथ लगे पाइप में करंट आने से हुई मौत के मामले को गंभीर बताया। उ[illegible] इस प्रकरण को गंभीरता से लेते [illegible] प्रसंज्ञान लेते हुए संबंधित [illegible] शिक्षा अधिकारी को त्वरित [illegible] कर कार्रवाई के निर्देश देते हुए [illegible] है कि कार्रवाई की तथ्यात्मक रि[illegible] सप्ताहभर में आयोग कार्यालय [illegible] प्रस्तुत करें। चतुर्वेदी ने यह भी [illegible] है कि सभी स्कूलों में इस स[illegible] में गंभीरता से निरीक्षण किया [illegible] कि करंट आने की स्थिति न [illegible] बच्चों की सुरक्षा का पूरा-पूरा [illegible] रखा जाए।

अल्प
में कल्प
2018-19

31 जुलाई 2018

ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक 31 जुलाई 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा करौली के नादौती ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ पंचायत समिति सभागार में बाल अधिकारों से सम्बंधित सभी विषयों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में प्रधान, उपखण्ड अधिकारी महेंद्र यादव, विकास अधिकारी रामवतार मीना, चिकित्सा अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अल्प
में कल्प
2018–19

1 अगस्त 2018

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक 1 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मनन चतुर्वेदी करौली जिले के निरीक्षण के दौरान आज सपोटरा पंचायत समिति सभागार एवं जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाल अधिकारों से सम्बंधित सभी विभागों के अधिकारियों से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला कलेक्टर श्री अभिमन्यु कुमार आईएएस, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह आईपीएस, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार, सभी जिला स्तरीय अधिकारी बाल कल्याण समिति करौली, सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए

बच्चों के प्रति संवेदनशील रहकर दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करें : चतुर्वेदी

करौली, (निसं)। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 50 पॉक्सो न्यायालयों का गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिससे पीड़ित बच्चों के प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर प्रदत्त दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करें।

करौली कलैक्ट्रेट में बैठक के दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, कलैक्टर अभिमन्यु कुमार, एसपी अजय सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

- बाल संरक्षण इकाईयों का गठन नहीं होने पर चिंता जताई

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित एक कदम बच्चों की ओर बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में बाल संरक्षण इकाईयों का गठन तीन साल पूर्व हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इकाईयों का गठन ग्रामीण स्तर पर नहीं किया गया है जो चिन्ता विषय है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि ग्राम स्तर पर सरपंच इस इकाई का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के दौरान आयोजित बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्मैक का नशा करने के बारे में सपोटरा क्षेत्र में बताया गया है जो बड़ी चिन्ता का विषय है। उन्होंने इस संबंध में स्मैक की आपूर्ति करने वालों की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीई एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की स्थिति एवं स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के बारे में विभागीय अधिकारी से जानकारी ली। जिस पर विभागीय अधिकारी ने बताया कि एक्ट के तहत सत्र 2017-18 में 8 हजार 216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब का गठन आगामी 7 दिवस में एवं विद्यालयों में शिकायत पेटी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा कर कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें।

उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु संचालित एमटीसी केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अनाथालयों में रहते है एवं 18 वर्ष की आयु के उपरान्त चले जाते है इस तरह के बच्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। बैठक में जिला कलैक्टर अभिमन्यु कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक अजयसिंह, एडीएम सुरेश कुमार, प्रधान करौली इन्दुदेवी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे।

ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाइयों का होगा गठन

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट सभागार में 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक में दी जानकारी

कार्यालय संवाददाता | करौली

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही प्रदेशभर में 50 पॉस्को न्यायालयों के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पीड़ित बच्चों के प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही हो सकेगी। जिले में तीन साल बाद भी बाल संरक्षण इकाईयों के गठन नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए 15 दिवस में ग्राम स्तर पर इकाईयों के गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर प्रदत्त दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष हिदायत भी दी। अध्यक्ष चतुर्वेदी ने बुधवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक में विभिन्न पहलुओं पर बिंदुवार चर्चा की।

उन्होंने कहा कि जिले में बाल संरक्षण इकाईयों का गठन तीन साल पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इकाईयों का गठन ग्रामीण स्तर पर नहीं किया गया है, जो चिन्ता का विषय है।बैठक के दौरान जिले में बाल संरक्षण टास्क फोर्स द्वारा गठन के बाद बीते दिनों में एक भी कार्यवाही नहीं करने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, पुलिस अधीक्षक अजयसिंह, एडीएम सुरेश कुमार, एसडीएम रामावतार कुमावत, करौली प्रधान इन्दुदेवी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष व सदस्यगण मौजूद थे।

सरपंच होता है ग्रामीण इकाई अध्यक्ष

ग्राम स्तर पर सरपंच बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के दौरान आयोजित बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों को स्मैक के नशा करने के बारे में सपोटरा क्षेत्र में बताया गया। इस संबंध में स्मैक की आपूर्ति करने वालों की जांच कर कार्यवाही करने के भी सख्त निर्देश दिए।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जरूरी

विभागीय अधिकारी ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत सत्र 2017-18 में 8 हजार 216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब का गठन आगामी 7 दिवस में करने तथा विद्यालयों में शिकायत पेटी स्थापित करने के निर्देश दिए।

बच्चों को मिले गुणवत्ता का पोषाहार

उन्होंने आंगनवाडी केन्द्रों की समीक्षा कर कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंगनवाडी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु एमटीसी केन्द्रों के बारे में जानकारी ली।

अनाथालयों की रिपोर्ट मांगी

अध्यक्ष ने कहा कि जो बच्चे अनाथालयों में रहते हैं एवं 18 वर्ष की आयु के उपरान्त चले जाते हैं, इस तरह के बच्चों की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित की जाए। प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली।

बाल संरक्षण इकाईयों का गठन नहीं होने को बताया चिंताजनक

बच्चों के प्रति रहें संवेदनशील - चतुर्वेदी

करौली . बैठक को संबोधित करतीं अध्यक्ष एवं मौजूद अधिकारी।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

करौली . जिले में बाल संरक्षण इकाईयों का गठन ग्रामीण स्तर पर नहीं होना चिंताजनक है। इन इकाईयों का गठन तीन साल पहले ही हो जाना चाहिए था। यह बात राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कही। चतुर्वेदी बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 50 पॉस्को न्यायालयों का गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे पीड़ित बच्चों के प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर प्रदत्त दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करें। चतुर्वेदी ने कहा कि ग्राम स्तर पर सरपंच बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के दौरान बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपोटरा क्षेत्र में स्मेक के नशे के आदी बढ़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। उन्होंने स्मेक की आपूर्ति करने वालों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने आरटीई एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की स्थिति एवं स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के बारे में विभागीय अधिकारी से जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि एक्ट के तहत सत्र 2017-18 में 8 हजार 216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों
गठन आ
विद्यालयों
करने के
आंगनबाड

कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाडी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए संचालित एमटीसी केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। अध्यक्ष ने कहा कि जो बच्चे अनाथालयों में रहते हैं एवं 18 वर्ष की आयु के उपरान्त चले जाते हैं। इस तरह के बच्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी

मनन ने लगाई कैला मां की ढोक

जिले के दौरे पर आईं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बुधवार को कैलादेवी पहुंचकर मां के दर्शन कर मनौती मांगी। इससे पूर्व उन्होंने करौली एवं सपोटरा में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सपोटरा . बैठक को सम्बोधित करती बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष।

सरकार बाल अधिकारों के लिए संकल्पित

सपोटरा @ पत्रिका. राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। यह बात राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से बालकों की समस्याएं, कुपोषण तथा बालकों से संबधित दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तीन साल बाद भी बाल संरक्षण इकाई का

साथ ही कहा कि गांव की बेटी हमारी बेटी की सोच लानी होगी तब इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी।

नशे पर लगवाओ रोक : इस दौरान गोठरा सरपंच मुकेश मीना ने बताया कि कस्बे सहित अन्य स्थानों युवा स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। नशे की प्रवृति तेजी से फैल रही है। अध्ययन ने थानाधिकारी को स्मैक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। भाजयुमो के सीताराम भूतिया ने सपोटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मशीनों व जनरेटरों को ठीक कराने की मांग की हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में

बीईईओ को किया जयपुर तलब, बच्चों के संरक्षण पर दिया जोर

भास्कर न्यूज | सपोटरा

पंचायत समिति के सभागार में बुधवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं उपजिला कलेक्टर राजपाल सिंह यादव के आतिथ्य में उपखंड अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की बाल संरक्षण योजनाओं की जानकारी नहीं होने पर अधिकारियों के बगले झांकने पर उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए विकास अधिकारी को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाल ग्राम संरक्षण इकाई का गठन करने के लिए पाबंद किया गया।

अयोग्य अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने राज्य सरकार की एक कदम बचपन की ओर से पॉक्सो एक्ट,किशोर न्याय,शिक्षा का अधिकार, कुपोषण व चिकित्सा की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बच्चों के प्रति संवेदनशील बनकर उनकी परवरिश,अनाथ बच्चों के संरक्षण तथा लैंगिक अपराध,बाल मजदूरी व नशा आदि रोकने पर जोर दिया गया। दूसरी ओर चिकित्सा, शिक्षा,महिला बाल विकास,पुलिस व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को ग्राम स्तर पर शोषित बच्चों की सूची बनाकर उन्हें कुपोषण भिक्षावृत्ति आदि से मुक्त कराकर भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जीवंत रखने पर बल दिया गया। एसडीएम राजपाल सिंह यादव ने डांग क्षेत्र में अनाथ बच्चों के संरक्षण के साथ जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को भामाशाहों का सहयोग लेकर गरीब व अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा व चिकित्सा आदि दिलाने में मदद लेने पर पुरजोर दिया गया। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा शिक्षा,महिला एवं बाल विकास,चिकित्सा,पुलिस व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लेने पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लखनलाल मीणा के अनुपस्थित होने तथा प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यापक को भेजने पर नाराजगी जाहिर करते हुए SDM को बीईईओ को मय रिकॉर्ड के साथ जयपुर कार्यालय पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया।

सपोटरा. पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों व कार्मिकों की बैठक लेती आयोग की अध्यक्ष।

अल्प में कल्प 2018-19

2 अगस्त 2018

जिला/ब्लॉक समीक्षा बैठक

दिनांक 2 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मनन चतुर्वेदी द्वारा

एक कदम बचपन की ओर...

करौली दौरे के तीसरे दिन हिंडौन व टोडाभीम पंचायत समिति सभागार में बाल अधिकारों से सम्बंधित सभी विभागों से समीक्षा बैठक की गई...

एकोरासी गांव में 4 बच्चों की तालाब में डूबकर मृत्यु होने पर गांव में जाकर परिवार से मिलकर परिवार को हिम्मत दी एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत करवाई गई, गैस कनेक्शन भी दिलवाया गया, साथ ही जन सहयोग से अन्य सामान की भी व्यवस्था करवाई गई...

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने ली बैठक

बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें : मनन

हिंडौनसिटी. पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक लेती मनन चतुर्वेदी।

कार्यालय संवाददाता | हिंडौनसिटी

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए गई योजनाओं से लाभान्वित कराएं। अध्यक्षा चतुर्वेदी ने यह बात गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार ने निर्भया कांड के बाद बाल संरक्षण, सुरक्षा, बाल अपराध, दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया है। जिसके तहत बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो पुलिस को ऐसे अपराधी के खिलाफ निर्धारित अवधि में कार्यवाही करना आवश्यक है।

उन्होंने विकास अधिकारी को आगामी 5 तारीख को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर होने वाली ग्राम सभाओं में बाल ग्राम सभाएं आयोजित कर बच्चों के कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, टीकाकरण, पोषाहार, पालनहार सहित अन्य सरकार की योजनाओं का गांव के बच्चों को लाभ मिल रहा है या नहीं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। चतुर्वेदी ने बताया कि हिंडौन क्षेत्र में स्मैक का धंधा बहुत पनप रहा है। जिसका बच्चे भी शिकार हो रहे हैं इसलिए इस प्रकार के कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी डीसी मीणा ने बताया कि न्याय आपके द्वार शिविरों में बाल संरक्षण व बालकों पर होने वाले अपराधों को रोकने, नशा मुक्ति के लिए ग्रामीणों को समझाइश की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बल्लभराम लहकोडिया ने सरकार की योजनाओं का क्षेत्र में पूरी तरह से पालना होने के साथ स्कूलों में पेयजल समस्या व जर्जर भवनों की समस्या से अवगत कराया। सीडीपीओ ने बताया कि हिंडौन क्षेत्र में 2007 बालक व 1984 बालिकाएं कुपोषित की शिकार हैं जिनका उपचार चल रहा है और समय-समय पर एएनएम द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी दुलीचंद मीणा, थानाधिकारी अध्यात्म गौतम, विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा, तहसीलदार घनश्याम जोशी, भाजपा विस्तारक मुकेश तिवाडी, शीला चंदन सहित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

विधायक व बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने मृतक बालकों को श्रद्धांजलि दी

हिण्डौन सिटी/ढिंढोरा, (निसं)। समीप के गांव एकोराशी में गत दिनों तालाब में डूबने से हुई चार बालकों की मौत के बाद गुरूवार को विधायक राजकुमारी जाटव व बाल संरक्षण आयोग की प्रदेश अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने उनके घर पहुंचकर बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सरकार की ओर से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

दर्जनों नेताओं के साथ गांव एकोराशी पहुंची विधायक राजकुमारी जाटव व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद उपजिला कलैक्टर दुलीचंद मीणा को सरकार की ओर से सहायता के लिए प्रक्रिया पूरी कर सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।

हिण्डौन सिटी/ढिंढोरा के समीप के गांव एकोराशी में गत दिनों तालाब में डूबने से हुई चार बालकों की मौत के बाद विधायक राजकुमारी जाटव व बाल संरक्षण आयोग की प्रदेश अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने उनके घर पहुंचकर बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित की

■ पोखर में डूबने से हुई थी चार बालकों की मौत

वहीं जन सहयोग से कुछ राशि एकत्रित कर मृतक बालकों के परिजनों को दी वहीं गैस कनेक्शन भी मौके पर ही दिये गये। इस दौरान विधायक जाटव ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में धैर्य रखें और अपने परिवार को संभालें। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की ओर से अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जावेगी। इस दौरान जिला प्रमुख अभय कुमार मीना, पूर्व प्रधान शिवराज मीना सहित विधायक जाटव के निजी सचिव ओपी चौधरी, समाज सेवी पप्पू बनकी, कप्तान सिंह, अशोक सिंह पटवारी, राजिन्दर सेक्रेट्री, वीरसिंह, प्रेम सिंह नोनिया, भंवर सिंह, रामस्वरूप, राधेश्याम सोलंकी सहित आस पास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान सभी ने दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से बालकों की आत्मा शांति की कामना की।

समाज में संस्कारों का हनन होने से होते हैं अपराध : चतुर्वेदी

हिण्डौन सिटी, (कासं)। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि समाज में संस्कारों का हनन होने की वजह से बालकों के साथ अत्याचार होते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होकर मानवता के नाते कार्य करना होगा। इसी दौरान जन प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर सरकारी योजनाओं की क्रियान्विती में लीपापोती करने का आरोप लगाया।

अध्यक्ष ने गुरूवार को हिण्डौन पंचायत समिति के सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण इकाईयों का गठन हर हाल में कर ग्राम स्तर पर संरपच की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर सरपंच इस इकाई का अध्यक्ष होता है इसलिए संरपच बच्चों का संरक्षक होता है। ग्राम सभा के दौरान आयोजित बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। चतुर्वेदी ने कहा कि हिण्डौन क्षेत्र में स्मैक की आपूर्ति करना बड़ी चिंता का विषय है इसे रोकने के लिए जागरूक होकर कार्य करना होगा जिससे देश के भविष्य को सुधारा जा सके। अध्यक्ष ने आरटीई एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की स्थिति एवं स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के बारे में विभागीय अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा कर कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु संचालित एमटीसी केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। वहीं बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सरकार की योजनाओं की क्रियान्विती के बारे में चर्चा के दौरान जब अधिकारियों की ओर से केवल कागजी आंकडे उपलब्ध कराकर चतुर्वेदी की ओर से वाह-वाही लूटने की कोशिश की जा रही थी तभी बैठक में मौजूद जन प्रतिनिधियों ने उन्हें बीच में टोकते हुए आरोप लगाया कि उपखण्ड के सभी विभागों के अधिकारी सरकारी योजनाओं की क्रियान्विती के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है।

ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाइयों का होगा गठन

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट सभागार में 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक में दी जानकारी

कार्यालय संवाददाता | करौली

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही प्रदेशभर में 50 पॉक्सो न्यायालयों के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पीड़ित बच्चों के प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही हो सकेगी। जिले में तीन साल बाद भी बाल संरक्षण इकाईयों के गठन नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए 15 दिवस में ग्राम स्तर पर इकाईयों के गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर प्रदत्त दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष हिदायत भी दी। अध्यक्ष चतुर्वेदी ने बुधवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक में विभिन्न पहलुओं पर बिंदुवार चर्चा की।

उन्होंने कहा कि जिले में बाल संरक्षण इकाईयों का गठन तीन साल पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इकाईयों का गठन ग्रामीण स्तर पर नहीं किया गया है, जो चिन्ता का विषय है।बैठक के दौरान जिले में बाल संरक्षण टास्क फोर्स द्वारा गठन के बाद बीते दिनों में एक भी कार्यवाही नहीं करने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, पुलिस अधीक्षक अजयसिंह, एडीएम सुरेश कुमार, एसडीएम रामावतार कुमावत, करौली प्रधान इन्दुदेवी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष व सदस्यगण मौजूद थे।

सरपंच होता है ग्रामीण इकाई अध्यक्ष

ग्राम स्तर पर सरपंच बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के दौरान आयोजित बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों को स्मैक के नशा करने के बारे में सपोटरा क्षेत्र में बताया गया। इस संबंध में स्मैक की आपूर्ति करने वालों की जांच कर कार्यवाही करने के भी सख्त निर्देश दिए।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जरूरी

विभागीय अधिकारी ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत सत्र 2017-18 में 8 हजार 216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब का गठन आगामी 7 दिवस में करने तथा विद्यालयों में शिकायत पेटी स्थापित करने के निर्देश दिए।

बच्चों को मिले गुणवत्ता का पोषाहार

उन्होंने आंगनवाडी केन्द्रों की समीक्षा कर कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंगनवाडी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु एमटीसी केन्द्रों के बारे में जानकारी ली।

अनाथालयों की रिपोर्ट मांगी

अध्यक्ष ने कहा कि जो बच्चे अनाथालयों में रहते हैं एवं 18 वर्ष की आयु के उपरान्त चले जाते हैं, इस तरह के बच्चों की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित की जाए। प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली।

बाल संरक्षण इकाईयों का गठन नहीं होने को बताया चिंताजनक

बच्चों के प्रति रहें संवेदनशील - चतुर्वेदी

करौली . बैठक को संबोधित करतीं अध्यक्ष एवं मौजूद अधिकारी।

सपोटरा . बैठक को सम्बोधित करती बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

करौली . जिले में बाल संरक्षण इकाईयों का गठन ग्रामीण स्तर पर नहीं होना चिंताजनक है। इन इकाईयों का गठन तीन साल पहले ही हो जाना चाहिए था। यह बात राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कही। चतुर्वेदी बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ 'एक कदम बच्चों की ओर' बैठक को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 50 पॉस्को न्यायालयों का गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे पीड़ित बच्चों के प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर प्रदत्त दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करें। चतुर्वेदी ने कहा कि ग्राम स्तर पर सरपंच बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के दौरान बैठक में बाल अत्याचार से संबंधित प्रकरणों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपोटरा क्षेत्र में स्मेक के नशे के आदी बढ़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। उन्होंने स्मेक की आपूर्ति करने वालों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने आरटीई एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की स्थिति एवं स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के बारे में विभागीय अधिकारी से जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि एक्ट के तहत सत्र 2017-18 में 8 हजार 216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों
गठन आ
विद्यालयों
करने के
आंगनबाड

मनन ने लगाई कैला मां की ढोक

जिले के दौरे पर आईं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बुधवार को कैलादेवी पहुंचकर मां के दर्शन कर मनौती मांगी। इससे पूर्व उन्होंने करौली एवं सपोटरा में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कुपोषित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी लेकर विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाडी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए संचालित एमटीसी केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। अध्यक्ष ने कहा कि जो बच्चे अनाथालयों में रहते हैं एवं 18 वर्ष की आयु के उपरान्त चले जाते हैं। इस तरह के बच्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक्टों के बारे में जानकारी

सरकार बाल अधिकारों के लिए संकल्पित

सपोटरा @ पत्रिका. राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। यह बात राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से बालकों की समस्याएं, कुपोषण तथा बालकों से संबधित दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तीन साल बाद भी बाल संरक्षण इकाई का

साथ ही कहा कि गांव की बेटी हमारी बेटी की सोच लानी होगी तब इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी।

नशे पर लगवाओ रोक : इस दौरान गोठरा सरपंच मुकेश मीना ने बताया कि कस्बे सहित अन्य स्थानों युवा स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। नशे की प्रवृति तेजी से फैल रही है। अध्ययन ने थानाधिकारी को स्मैक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। भाजयुमो के सीताराम भूतिया ने सपोटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मशीनों व जनरेटरों को ठीक कराने की मांग की है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में

बीईईओ को किया जयपुर तलब, बच्चों के संरक्षण पर दिया जोर

भास्कर न्यूज | सपोटरा

पंचायत समिति के सभागार में बुधवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं उपजिला कलेक्टर राजपाल सिंह यादव के आतिथ्य में उपखंड अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की बाल संरक्षण योजनाओं की जानकारी नहीं होने पर अधिकारियों के बगले झांकने पर उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए विकास अधिकारी को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाल ग्राम संरक्षण इकाई का गठन करने के लिए पाबंद किया गया।

अयोग्य अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने राज्य सरकार की एक कदम बचपन की ओर से पॉक्सो एक्ट,किशोर न्याय,शिक्षा का अधिकार, कुपोषण व चिकित्सा की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बच्चों के प्रति संवेदनशील बनकर उनकी परवरिश,अनाथ बच्चों के संरक्षण तथा लैंगिक अपराध,बाल मजदूरी व नशा आदि रोकने पर जोर दिया गया। दूसरी ओर चिकित्सा, शिक्षा,महिला बाल विकास,पुलिस व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को ग्राम स्तर पर शोषित बच्चों की सूची बनाकर उन्हें कुपोषण भिक्षावृत्ति आदि से मुक्त कराकर भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जीवंत रखने पर बल दिया गया। एसडीएम राजपाल सिंह यादव ने डांग क्षेत्र में अनाथ बच्चों के संरक्षण के साथ जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को भामाशाहों का सहयोग लेकर गरीब व अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा व चिकित्सा आदि दिलाने में मदद लेने पर पुरजोर दिया गया। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा शिक्षा,महिला एवं बाल विकास,चिकित्सा,पुलिस व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लेने पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लखनलाल मीणा के अनुपस्थित होने तथा प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यापक को भेजने पर नाराजगी जाहिर करते हुए SDM को बीईईओ को मय रिकॉर्ड के साथ जयपुर कार्यालय पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया।

सपोटरा. पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों व कार्मिकों की बैठक लेती आयोग की अध्यक्ष।

अल्प में कल्प 2018–19

6 अगस्त 2018

मासिक बैठक

दिनांक 6 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मासिक बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में घटित घटनाओं पर सदस्य श्रीमती डॉ॰ सीमा जोशी, श्री एस पी सिंह, श्रीमती उमा रत्नु, श्रीमती जय श्री गर्ग एवं आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाकर नियमानुसार निर्णय लिए गए।

अल्प
में कल्प
2018-19

15 अगस्त 2018

स्वतंत्रता दिवस समारोह

दिनांक 15 अगस्त 2018 : स्वतंत्रता दिवस पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय पर ध्वजारोहण किया साथ मे निदेशक सुषमा अरोड़ा जी आई ए एस , व कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी सभी उपस्थित रहे।

बच्चों के साथ ध्वजारोहण किया व विद्यालयों में बच्चों को राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया

अल्प
में कल्प
2018–19

27 अगस्त 2018

सम्मान समारोह

दिनांक 27 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा दौसा के निर्झरना गांव में आयोजित ''बेटी तुझे सलाम'' कार्यक्रम में क्षेत्र की बेटियों को 10वीं,12वीं, बीए व सामाजिक क्षेत्र में प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री नरेश कुमार शर्मा आई. ए. एस., रिटायर्ड आईएएस, स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

अल्प
में कल्प
2018–19

30 अगस्त 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली

दिनांक 30 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल विवाह रोकथाम कार्यशाला का आयोजन भारतीय पुनर्वास केंद्र में हुआ।

कार्यशाला में मानवाधिकार आयोग के साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात हरियाणा आदि राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

अल्प
में कल्प
2018-19

30 अगस्त 2018

लोकार्पण

दिनांक 30 अगस्त 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा सचिवालय के मुख्य भवन में सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा निर्मित महिला कॉमन कक्ष का उदघाटन किया।

संघ द्वारा निर्मित कक्ष महिला बहनों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

इस अवसर पर साथ मे सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अधिमन्यु शर्मा,पूर्व अध्यक्ष महेश व्यास आदि साथ रहे।

अल्प
में कल्प
2018–19

4 सितम्बर 2018

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

दिनांक 4 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जियपुर युथ फेस्टिवल 2018 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार व्यक्त किये व सवालों के जवाब में छात्रों को मोटीवेट किया।

साथ मे आईएएस श्री नवीन जैन जी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा व आयोजक अनुराग सक्सेना व विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हुए।

अल्प
में कल्प
2018-19

10 सितम्बर 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला मुर्शीदाबाद (पं. बंगाल)

दिनांक 10 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में बाल-विवाह रोकथाम एवं पोक्सो अधिनियम 2012 पर आयोजित की कार्यशाला में अपने विचार रखे एवं सुझाव दिए।

पश्चिम बंगाल राज्य बाल अधिकार आयोग व बाल कल्याण समितियों की कार्यवाही की भी जानकारी ली।

साथ ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर प्रभु के दर्शन करने का अवसर मिला।

अल्प
में कल्प
2018-19

11 सितम्बर 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली

दिनांक 11 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा न्यू देहली के इण्डिया इंटरनेशनल सेन्टर मे एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा आयोजित बाल विवाह की रोकथाम के सम्बंध में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग व राज्य आयोगों के साथ विस्तृत चर्चा में शामिल हुई.....

कार्यशाला में बाल कलाकारों द्वारा निर्मित बाल विवाह अभिशाप पर शार्ट फिल्म भी दिखाई गई

अल्प
में कल्प
2018–19

18 सितम्बर 2018

बाल मैत्री मेला

दिनांक 18 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा पुष्कर में आयोजित होने वाले विश्व विख्यात मेले को रुबालत्रमैत्रीत्रमेला बनाकर मेले में शामिल होने वाले बच्चों को विशेष सुविधा, व नामांकन सहित अन्य विशिष्ठ सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अजमेर सर्किट हाउस में बैठक कर चर्चा की गई।

बैठक में आयोग के सभी सदस्य एवं सदस्य सचिव वी सरवन कुमार आईएएस, सहित अन्य अधिकारी भी साथ रहे...

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्ण पीठ ने किया अजमेर एवं पुष्कर का दौरा

पुष्कर मेला होगा चाइल्ड फ्रेंडली एवं बाल श्रम मुक्त

कार्स/नवज्योति, अजमेर

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा है कि आयोग ने राजस्थान के पहले बाल मैत्री पूर्ण मेले के लिए पुष्कर मेले को चुना है। बाल मैत्री पूर्ण मेला अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। सोमवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि मेले में बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

किसी भी बच्चे को अपने अभिभावकों के साथ रहने की व्यवस्था की जाएगी। अभिभावकों से बिछड़ने वाले बच्चों को तुरन्त सही जगह पहुंचाने की माकूल व्यवस्था अंजाम दी जाएगी। पुष्कर मेले को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर एवं तहसीलदार पुष्कर को बाल श्रम को रोकने के पुख्ता प्रबंध करने तथा बाल अधिकारों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस मेले में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार के बच्चे बाल श्रम व भिक्षावृत्ति नहीं करें। मेले में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करवाने के लिए दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में बाल कल्याण इकाई का गठन किया जाना चाहिए। जिले में जेजे एक्ट के तहत अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा बच्चों को रखने के संबंध में आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। प्राथमिक स्तर पर सघन निरीक्षण करके ऐसे स्थानों का चिन्हिकरण कर पंजीकृत अथवा बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में आयोग के सचिव राधेश्याम डेलू, उपखण्ड अधिकारी हरिसिंह लम्बोरा, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जय प्रकाश, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग संजय सावलानी, डिम्पल शर्मा बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नुसरत नकवी, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक कुशाल सिंह एवं नानूराम प्रजापति तथा तहसीलदार पुष्कर ने भी भाग लिया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी बैठक को सम्बोधित करते हुए। -नवज्योति

पुष्कर में भी हुई बैठक

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्ण पीठ ने जिले में बाल संरक्षण एवं अधिकारों के बारे संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। आयोग सदस्य राजश्री गर्ग ने जिले में बाल संरक्षण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा करते हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के संबंध में पुलिस अधिकारी से जिले की प्रगति की जानकारी लेते हुए मिसिंग चाइल्ड ट्रेक सिस्टम पर डाटा अपडेट रखने के निर्देश दिए। आयोग के सदस्य एसपी सिंह ने नशा मुक्ति अभियान को अजमेर में प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। सदस्य उमा रत्नू ने पॉक्सो अधिनियम में जिले में दर्ज प्रकरणों के बारे में पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। सदस्य साधना सिंह ने बाल श्रम को रोकने एवं बाल श्रमिकों के उचित पुनर्वास के निर्देश दिए। सदस्य डॉ. सीमा जोशी ने किशोर न्याय बोर्ड एवं चाइल्ड लाइन के प्रकरणों के बारे में प्रगति की जानकारी ली। सदस्य सचिव वी.सरवन कुमार, आईएएस ने बाल संरक्षण की योजनाओं की समीक्षा की।

प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली होगा पुष्कर मेला

कोलकता की तर्ज पर राजस्थान में होगा अनूठा प्रयास

एक्सप्रेस रिपोर्ट

सर्किट हाउस में बैठक लेती राजस्थान बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी।

चाइल्ड लेबर फ्री होगा मेला

बच्चों के लिए ऐसे बनेगा मेला चाइल्ड

फ्रेंडली मेले में बच्चों के लिए विशेष स्टॉल्स लगाकर इस मेले को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान का पहले चाइल्ड फ्रेंडली मेले की शुरुआत अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से की जाएगी। मेले में बच्चों के लिए विशेष स्टॉल्स लगाकर ना केवल बच्चों को मेले में आकर्षित किया जाएगा बल्कि दूर-दराज से मेले में आने बच्चे जो अपने परिजनों से बिछड़े हो उन्हें मिलाने, बच्चों को भिक्षावृति से दूर रखने व बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार व बाल अधिकार व कानूनों की जानकारी मेले में स्टॉल्स के माध्यम से पेरेन्ट्स के साथ बच्चों को दी जाएगी।

विभागों से लिया जाएगा सहयोग

स्पेशल बेन्ड व सील से रहेगी बच्चों पर

मेले को विशेष बनाया जाएगा

अपंजीकृत संस्थाओं की मांगी रिपोर्ट

डाटा अपडेट रखें

अव्यवस्थाओं से नाराज होकर लौटी चतुर्वेदी

पुष्कर नगरपालिका से नाराज होकर लौटती बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी व अन्य।

सफाई कर्मचारियों की भर्ती पुनः करने की बात

अल्प
में कल्प
2018–19

25 सितम्बर 2018

निरीक्षण व समीक्षा बांसवाड़ा

दिनांक 25 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द जिलों के विभिन्न स्थानों पर जाकर बाल अधिकारों से सम्बंधित विषयों की जानकारी ली एवं विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया...

अल्प
में कल्प
2018–19

26 सितम्बर 2018

राज्य स्तरीय कार्यशाला

दिनांक 26 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए मैन्युअल की जानकारी दी गयी....

कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों से निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रधान शामिल हुए जिनको मैन्युअल की पालना हेतु प्रशिक्षण दिया गया....

अल्प
में कल्प
2018-19

28 सितम्बर 2018

बच्चों की कला प्रदर्शनी

दिनांक 28 सितम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के मानसरोवर में स्थित टैगोर विद्या भवन विद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा निर्मित चित्रकला, पेंटिंग, साइंस के प्रोजेक्ट एवं अन्य विभिन्न शोध किये गए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी मेबजाने का अवसर मिला।

टेगोर में मेरे बचपन मे पढ़ाने वाले गुरुजनों से भी मिलकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला।

अल्प
में कल्प
2018-19

1 अक्टूबर 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला गांधीनगर
(गुजरात)

दिनांक 1अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित बाल संरक्षण व सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया एवं राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी। कार्यशाला में शामिल हुए विभिन्न राज्यों के आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ गांधीनगर में स्थित धार्मिक स्थलों पर जाने का भी अवसर मिला।

अल्प
में कल्प
2018-19

2 अक्टूबर 2018

मासिक बैठक

दिनांक 2 अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्धारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक में आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों से चर्चा कर आगामी दिनों में जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति की 25 विद्यालयों के अध्यापकों को शंकरा आई हऊँस्पिटल के माध्यम से आंखों की जांच करने का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु शिविर का आयोजन आयोग करवाएगा उसके बाद सभी जिलों में भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी।

आयोग की ओर से सभी जिलों के सम्प्रेषण ग्रहों में योग की कक्षाओं के आयोजन भी करवाया जाएगा जिसके लिए योग सीखने वाली संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।

अल्प
में कल्प
2018-19

6 अक्टूबर 2018

ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक 6 अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा ब्लॉक स्तर पर सभी विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से बाल अधिकारों से सम्बंधित मामलों की जानकारी ली, साथ मे उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक सहित सभी अधिकारी रहे।

अल्प
में कल्प
2018-19

16 अक्टूबर 2018

एस. ओ. पी. शुभारम्भ

दिनांक 16 अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा देश की पहली हिंदी भाषा मे पहली बार रुैजतममजऋबीपसकतमद पर बनी मानव संचालक प्रक्रिया (एसओपी) हिंदी भाषा मे रूपांतरित की लॉन्चिंग की गई।

इस नियमावली से राज्य के सड़कों पर रहने वाले बच्चे, भिक्षावृति, व बालश्रम में लिप्त बच्चों को अपना अधिकार मिलेगा।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किया गया एक बालहित में निर्णय.

अल्प
में कल्प
2018-19

27 अक्टूबर 2018

नेत्र जाँच प्रशिक्षण

दिनांक 27 अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के झोटवाड़ा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम के द्वारा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मार्गदर्शन में आंखों की जांच का प्रशिक्षण दिलाया गया, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने से अध्यापक अपनी अपनी संस्था में बच्चों की आंखों की प्राथमिक जांच कर सकेंगे।

साथ मे आयोग की सदस्य जय श्री गर्ग एवं सीमा जोशी, शंकरा आई हउँस्पिटल की टीम भी रही।

अल्प
में कल्प
2018–19

29 अक्टूबर 2018

बाल सुरक्षा मंथन शिविर

दिनांक 29 अक्टूबर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्धारा जयपुर के केंद्रीय विहार अपार्टमेंट्स जगतपुरा में सोसायटी द्धारा घर से घर और स्कूल सेफ्टी कैसे करे वह वर्क शॉप में जाकर अपने विचारों के साथ रूबरू होकर अभिभावकों के साथ चर्चा की , कार्यशाला में श्री अरुण जी भी साथ मे रहे।

अल्प
में कल्प
2018-19

5 नवम्बर 2018

राष्ट्रीय कार्यशाला भुवनेश्वर (उड़ीसा)

दिनांक 5 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर अपने विचारों के साथ ही राजस्थान आयोग द्वारा किये जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।

कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आये आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के साथ ओडिशा में महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी, बुद्धा स्तूप एवं अन्य केंद्रों पर भी जाने का अवसर मिला।

अल्प में कल्प 2018-19

14 नवम्बर 2018

पहला दिन बाल सप्ताह 2018

दिनांक 14 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्धारा जयपुर के रविन्द्र मंच पर बावरी का तिरंगा नामक नाटक के माध्यम से कच्ची बस्ती के बच्चों की भावनाओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया।

बाल सप्ताह के सुभारम्भ पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन बच्चों के साथ किया गया।

नाटक : - बावरी का तिरंगा

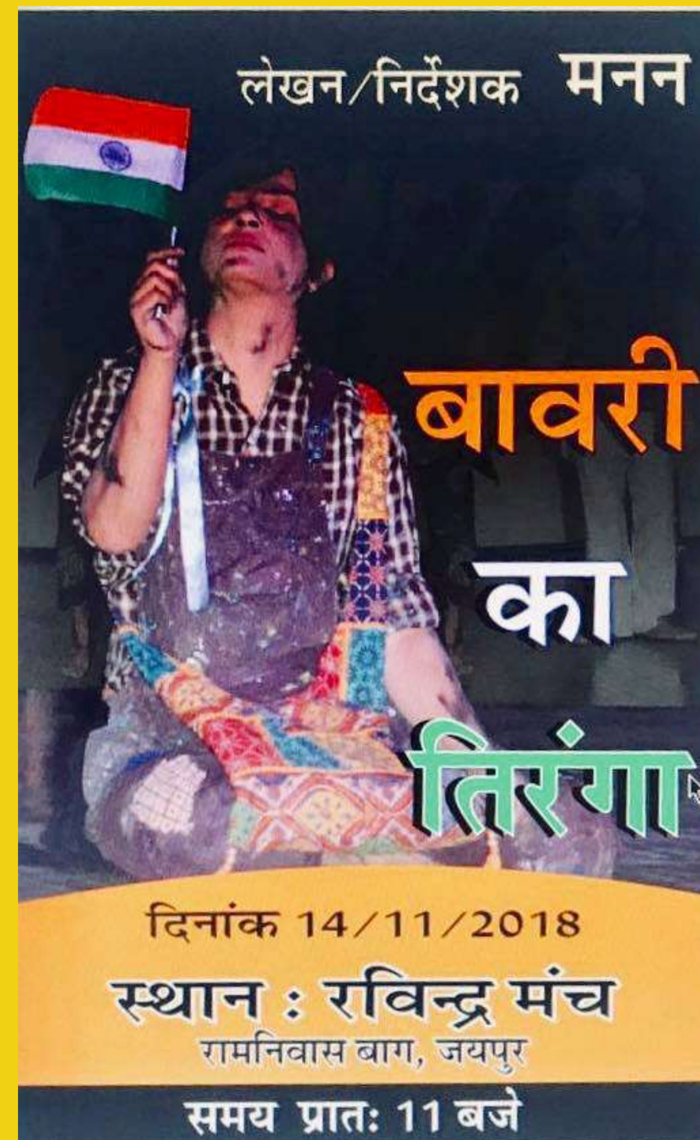

...र गुजारा करने वाले बच्चों की व्यथा मंच पर हुई साकार

जयपुर (कासं)। सड़कों पर गुजर-बसर करने वाले बच्चों की व्यथा व पीड़ा बुधवार को शहर के रामनिवास बाग स्थित रविन्द्र मंच जीवंत दिखी। बाल दिवस पर बाल आयोग एवं सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से यहां 'बावरी का तिरंगा' नाटक दर्शाया गया।

बाल आयोग की अध्यक्ष मनन

- नाटक 'बावरी का तिरंगा' के जरिये दिया बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश

सड़क पर गुजर-बसर करने वाले बच्चों की व्यथा पर आयोजित नाटक 'बावरी का तिरंगा' बुधवार को बाल दिवस पर मंचन किया गया।

फोटो-राष्ट्रदूत

चतुर्वेदी द्वारा लिखित, निर्देशित एवं अभिनित इस नाटक में शोषण और बाल अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सुरमन संस्थान के 35 बच्चों व कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रस्तुति दी। नाटक में बावरी के किरदार में मनन चतुर्वेदी के साथ, नरेन्द्र सिंह ने मास्टर जी तथा बिट्टू, जयकिशन, गोलू, मिश्री, अन्नू, चन्दू, नारायण, सुनील भोजक, ब्रजमोहन व रवि ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी।

इस नाटक में सड़क के किनारे गुजर-बसर करने वाली किशोरी बालिका बावरी की कहानी को दर्शाया गया, जो बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर चौराहों पर सामान बेचकर अपना गुजारा करती है। अनाथ बावरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। स्वतन्त्रता दिवस पर तिरंगे बेचने के दौरान उस बस्ती के मास्टरजी तिरंगे का महत्व व स्वतन्त्रता के मायने समझाते है। बावरी भारतमाता को अपनी माता मानते हुए कहती है कि, मैं अब अनाथ नहीं हूं, मुझे भारतमाता के रूप में अपनी मां मिल गयी है। मास्टरजी उसे बाल अधिकारों के बारे में बताते हैं। बावरी कहती है कि स्वतन्त्र भारत में बच्चों की यह दुर्दशा क्यों है। बावरी मन में ठानती है, कि वह बच्चों को शोषण से मुक्त करवायेगी व बस्ती में झण्डा लहरायेगी। बस्ती के लोग उसका साथ देते हैं, लेकिन स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या पर बावरी गुंडों के शोषण का शिकार हो जाती है। अगली सुबह वह बस्ती में झण्डा लहराने के बाद दम तोड देती है। बावरी दुनिया से चली जाती है लेकिन हर एक बच्चे के मन में बाल अधिकारों की ललक जगा जाती है।

इस अवसर पर भरतपुर के लक्की विमंदित गृह एवं जामडोली के गरिमा स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

'बावरी' ने फहराया तिरंगा

बाल दिवस पर खेला गया नाटक

डेली न्यूज, mix रिपोर्टर

जयपुर। सड़क पर गुजर-बसर करने वाले बच्चों की व्यथा-कथा को बाल दिवस के अवसर पर रविन्द्र रंगमंच पर बाल आयोग एवं सेव द चिल्ड्रन द्वारा बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 'बावरी का तिरंगा' नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। बाल आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी लिखित व निर्देशित एवं अभिनीत नाटक में शोषण और बाल अधिकारों के हनन के खिलाफ 41 [illegible] बुलन्द करते हुए सुरमन संस्थान के 35 बच्चों व कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रस्तुति दी। नाटक में बावरी के किरदार में मनन चतुर्वेदी के साथ, नरेन्द्र सिंह ने मास्टरजी और बिट्टू जयकिशन, गोलू, मिश्री, अन्नू, चन्दू, नारायण, सुनील भोजक, ब्रजमोहन व रवि ने अभिनय किया। नाटक के कथानक में किशोरी बालिका बावरी जो सड़क के किनारे गुजर बसर करती है और बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर चौराहों पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करती है। स्वतन्त्रता दिवस पर तिरंगे बेचने के दौरान उस बस्ती के मास्टरजी तिरंगे का महत्व व स्वतंत्रता के मायने समझाते हैं। बावरी भारतमाता को अपनी माता मानते हुए कहती है कि मैं अब अनाथ नहीं हूं, मुझे भारतमाता के रूप में अपनी मां मिल गई है।

अल्प
में कल्प
2018-19

15 नवम्बर 2018

दूसरा दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 15 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के झालाना में आयोजित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की समीक्षा कार्यशाला का आयोजन राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा करवाया गया है।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शिक्षा से जुड़ी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बदलाव एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बाल सप्ताह के दूसरे दिन आयोग की टीम एमएस वी सरवन कुमार, सदस्य सीमा जोशी, एसपी सिंह सहित आयोग के सभी अधिकारी शामिल रहे।

अल्प
में कल्प
2018–19

16 नवम्बर 2018

तीसरा दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 16 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर में पॉस्को एक्ट पर समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, विशेषज्ञों एवं बच्चों के साथ चर्चा कर अधिनियमों की सरल एवं सुलभ जानकारी उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई।

जयपुर की होटल सफारी में आयोजित महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जाकर महिला शक्ति को सम्मानित किया।

कार्यशाला में आयोग के सभी सदस्य एवं अधिकारी भी साथ रहे।

अल्प
में कल्प
2018–19

17 नवम्बर 2018

चौथा दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 17 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के बालिका विद्यालय रुगांधीनगर में बाल सप्ताह के चौथे दिन राज्य बाल अधिकार आयोग की ओर से कुपोषण एवं स्वच्छता विषय पर जागरूक करने हेतु कार्यशाला का आयोजन कर बालिकाओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं को लिखवाकर उनके समाधान के प्रयास किये जायेंगे....

बालिकाओं के साथ ही आज जन्मदिवस भी मनाया गया जिसमें सभी बालिकाओं द्वारा बधाई दी गयी जिनका आभार व्यक्त किया गया...

अल्प
में कल्प
2018–19

18 नवम्बर 2018

पाचवां दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 18 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के बालक गृह में बाल सप्ताह के पांचवे दिन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को योग की नियमित कक्षाओं के आयोजन के लिए योगस्थली योग समिति द्वारा योग के विभिन्न व्यायामों का अभ्यास करवाया गया।

बच्चों को योग के बारे में जानकारी देते हुए जीवन मे योग की अहमियत भी बताई गई।

इस दौरान साथ मे बाल आयोग की सदस्य सीमा जोशी, सहायक निदेशक ब्रह्मप्रकाश आर्य, योगस्थली योग संस्थान के पदाधिकारी भी साथ रहे।

कार्यशाला में आयोग के सदस्य सचिव वी सरवन कुमार आईएएस, सीमा जोशी सदस्य आयोग, उपनिदेशक शिक्षा आयोग सहायक निदेशक आयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों के साथ बालिकाओं से चर्चा की गई।

बाल सप्ताह लगातार।

अल्प
में कल्प
2018-19

19 नवम्बर 2018

छठा दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 19 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के शास्त्रीनगर में राजस्थान बाल अधिकार आयोग द्वारा चलाये जा रहे बाल सप्ताह के छठे दिन विश्व बाल श्रम रोकथाम दिवस के अवसर पर बच्चों के साथ बालश्रम रोकथाम के संदेश देने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बालश्रम की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग के अधिकारी, बाल संरक्षणौ के जुड़े विशेषज्ञों, एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर लगातार अपने अपने क्षेत्र के बालश्रम रोकथाम हेतु अभियान चलाने की बात की।

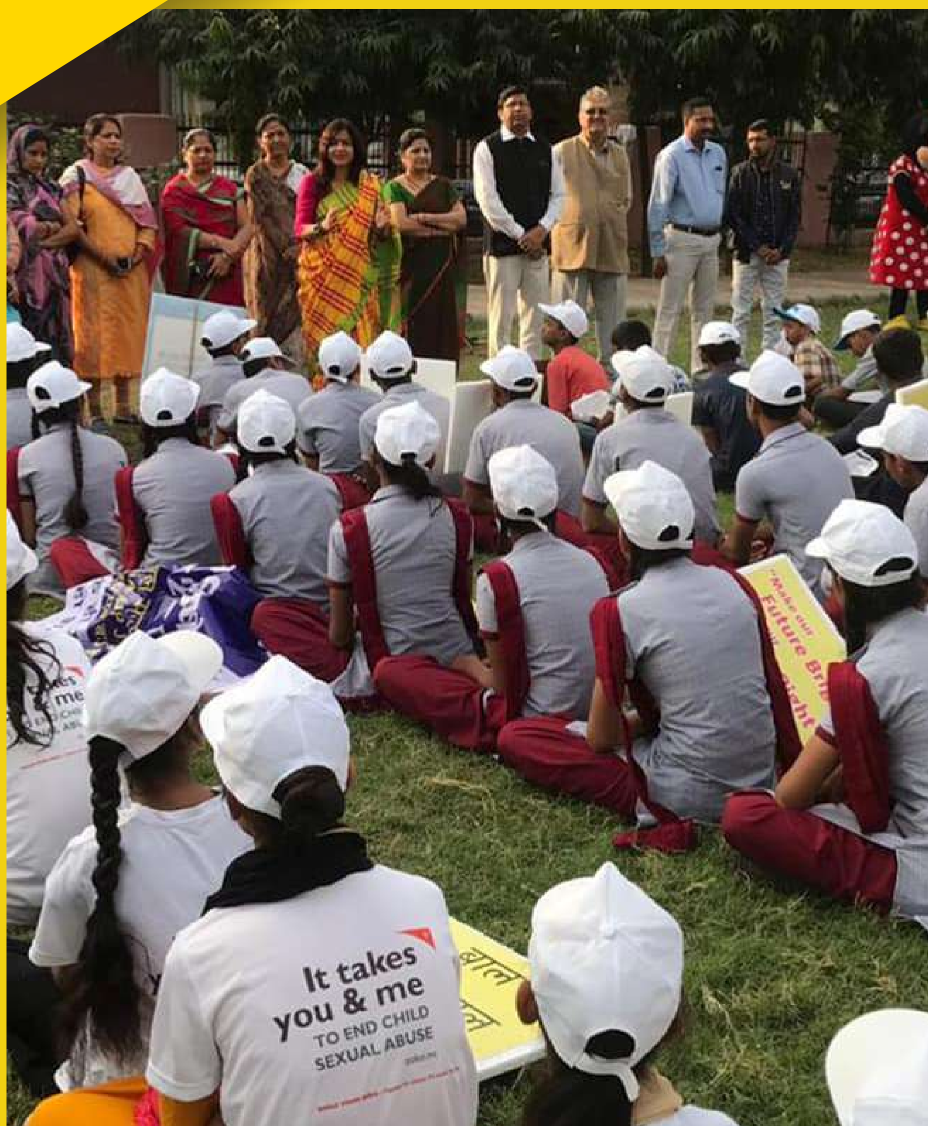

अल्प
में कल्प
2018–19

20 नवम्बर 2018

सातवां दिन
बाल सप्ताह
2018

दिनांक 20 नवम्बर 2018 : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा जयपुर के पोद्दार मुकबधिर विद्यालय में बाल सप्ताह 2018 का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

राजस्थान में चलाए जा रहे राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा बाल सप्ताह के आयोजन में आज सेठ आनंदी लाल पोद्दार मुकबधिर विद्यालय के बच्चों के साथ जलेबी दौड़, बॉलीबॉल, कब्बडी, चम्मच दौड़ आदि खेलों का आयोजन करवाया गया।

से चर्चा की गई... बाल सप्ताह लगातार.. खेलों में शामिल बच्चों को प्रमाणपत्र भी वितरित किये गए। कार्यक्रम में आयोग के सभी सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं खेल में शामिल विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

समापन समारोह बाल सप्ताह 2018 कार्यक्रम एवं कार्यशाला में साथ मे आयोग की सदस्य डॉ. सीमा जोशी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिखवाल, सदस्य आनंद बिहारी पारीक, निशा पारीक, वर्ल्ड विजन संस्था के प्रतिनिधि भी साथ रहे।

कार्यशाला में आयोग के सदस्य सचिव वी सरवन कुमार आईएएस, सीमा जोशी सदस्य आयोग, उपनिदेशक शिक्षा आयोग सहायक निदेशक आयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों के साथ बालिकाओं से चर्चा की।

अल्प
में कल्प
2018–19

21 नवम्बर 2018

बाल सप्ताह समापन समारोह 2018

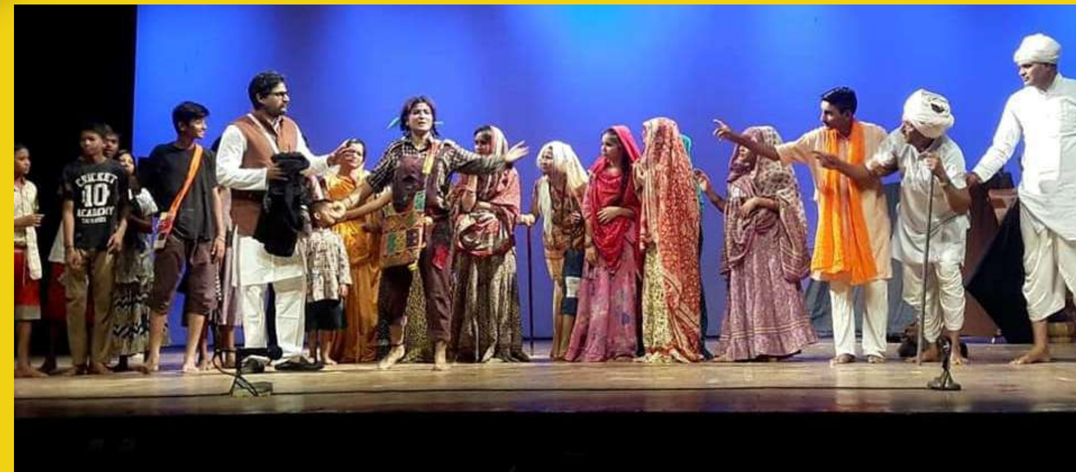

2018
मई
ब्लड केंसर एवं थेलिसीमिया
जागरुकता अभियान
जून
बाल विवाह मुक्त हो राजस्थान
जुलाई
शिक्षा से वंचित ना हो राजस्थान
अगस्त
बालश्रम मुक्त हो राजस्थान
सितम्बर
स्वास्थ्य परिक्षण अभियान
अक्टूबर
जगमगाता रहे बचपन
नवम्बर
बाल अधिकार सप्ताह
14 से 20 नवम्बर
2019

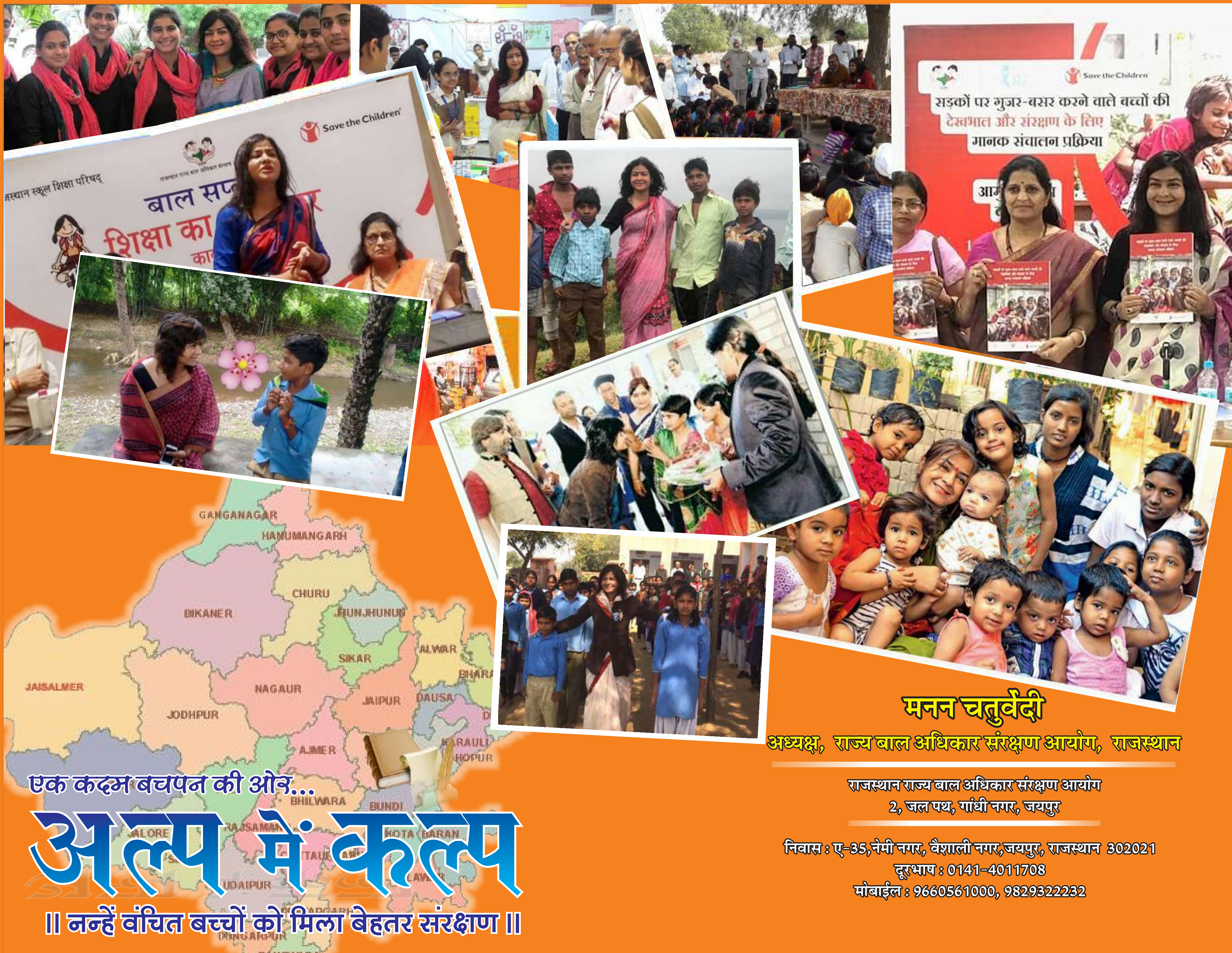

एक कदम बचपन की ओर...

अल्प में कल्प

॥ नन्हें वंचित बच्चों को मिला बेहतर संरक्षण ॥

मनन चतुर्वेदी

अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

निवास : ए-35,नेमी नगर, वैशाली नगर,जयपुर, राजस्थान 302021
दूरभाष : 0141-4011708
मोबाईल : 9660561000, 9829322232